2024/129 ✓

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111–128	46/2024	11/3/2024	01/05/24	15/4/2024

अनवान

श्री रेखा देवी w/o पप्पू कंजर

निवासी चीताबड़ा तह. बिजौलिया

श्री कमला w/o प्रकाशचन्द्र जाति धाकड़

निवासी चाँद जी की खेड़ी तह. बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री घनश्याम धाकड़

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

रेखा बनाम कमला

किस्म मुकदमा – 111–128 नम्बर 46/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 15/4/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/4/24 को वास्ते निर्णय/आदेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद तामील अनुपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 01/05/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
01/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध पूर्व में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए थे। पत्रावली में आदेश/निर्णय पारित किए गए एवं पालना के लिए तहसीलदार बिजौलिया को लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 46/24 तारीख दायर 11/03/24

रेखा देवी पत्नि पप्पू कंजर जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....................प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नि प्रकाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सुमित्रा पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 01/05/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी** की खेड़ी तहसील **बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 283 पर अंकित आराजी संख्या 536 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया.

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

(न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ... भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 46/24 तारीख दायर 11/03/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....46........./ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

रेखा देवी पत्नि पप्पू कंजर जाति कंजर उम्र वयस्क निवासी चिताबड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कमला पत्नि प्रकाशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सुमित्रा पत्नि सुरेशचन्द्र जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 283 पर अंकित आराजी संख्या 536 रकबा 0.9146 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर फीस नियमानुसार वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा । पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी ... (भीलवाड़ा)